न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 113/2016

1 बिहारीलाल उम्र 75 साल पुत्र भोलदास जाति स्वामी निवासी बनवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर झुन्झुनू राज.।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू।
3 मन्दिर श्री हरिदास जी वाके ग्राम बनवास तहसील बुहाना जरिये देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार जरिये आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर राणाजी राज.।
4 आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार उदयपुर राणाजी जिला उदयपुर राज.।
5 सज्जन कुमार उम्र 60 साल पुत्र श्री मोहनलाल जाति स्वामी निवासी बनवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
6 गोविन्दराम पुत्र मनोहरलाल जाति स्वामी निवासी बनवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
7 नरेन्द्र कुमार पुत्र मनोहरलाल जाति स्वामी निवासी बनवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.11.2016 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी बुहाना बमुकदमा नम्बर 150/2016
उनवानी बिहारीलाल आदि बनाम राजस्थान सरकार
आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा
212 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनवात, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 150/2016 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर ग्राम बनवास तहसील बुहाना की भुमि खसरा नम्बर 132, 133 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मुताबिक बन्दोबस्त सम्वत 1998 में भूमि खसरा नम्बर 155, 157, 158, 162 व 163 खुद काबिज दर्ज रिकार्ड थी व शेष भूमि खसरा नम्बर 154, 156, 159, 160, 161 विभिन्न व्यक्तियों की काश्त में दर्ज थी जो कि प्रार्थी अपीलान्ट के पितामह ठण्डुदास सम्वत 1998 के बन्दोबस्त में खतोनी में भूमि खसरा नम्बर 154 का काश्तकार दर्ज रिकार्ड था एवं उपरोक्त समस्त भूमि का 1/4 हिस्से का खतौनीदार भी था इस प्रकार से अपीलान्ट का पितामह ठण्डुास उक्त भूमि खसरा नम्बर 154 रकबा 36 बीघा 11 बिश्वा का खतौनीदार काश्तकार था एवं भूमि खसरा नम्बर 154 मन्दिर श्री हरिदासजी की खुद काश्त में दर्ज नहीं थी। मिसल हकियत बन्दोबस्त सम्वत 1998 के बाद ठिकाना खेतड़ी की प्रथम जमाबन्दी सम्वत 2012 में बनी उसमें भी अपीलान्ट का पिता भोलदास पुत्र ठण्डुदास भूमि खसरा नम्बर 154 का बहैसियत कृषक दर्ज रिकार्ड था। सन् 1952 में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान लैण्ड रिफार्म व जागीर रिज्यूमशन कानून पारित किया जिसकी धारा 9 में यह प्रावधान दिया गया कि जो भी व्यक्ति माफी की भूमि के अधिग्रहण के समय ऐसी भूमि पर बतौर खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार अथवा कृषक दर्ज है वह खातेदार टिनेन्ट बन जायेगा यह प्रावधान मन्दिर माफी की भूमियों पर लागू था अब भी लागू है चूंकि अपीलान्ट का पितामह सम्वत 1998 से ही उक्त भूमि पर बहैसियत खतौनीदार दर्ज रिकार्ड था एवं उसके बाद उसका पुत्र भोलदास भी सम्वत 2012 में बतौर कृषक दर्ज है एवं यह भूमि अपीलान्ट व उनके पिता भोलदास को बतौर उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी अर्थात उनको यह भूमि उनकी अनुवांशिक है और उत्तराधिकार में मिलती रही है। अपीलान्ट के भाई रामोतार की नाऔलाद मृत्यु हो गई उसके कोई संतान नहीं थी परन्तु अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 लगायत 7 के पिता मनोहरलाल के नाम सम्वत 2021 से सम्वत 2036 तक अर्थात नई पैमाईश शुरू होने तक उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड थी और राज्य सरकार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 लगायत 7 के पिता से माल लेती रही है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर किये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

बिना विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें एवं अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 ने तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा तारादेवी बनाम स्टेट में पारित निर्णय एवं माननीय राजस्व मण्डल के पत्र दिनांक 06.01.2010, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 की अनुपालना में अपीलांट की अपील स्वीकार कर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि संवत 2012 में अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकार में आने के समय भूमि मंदिर श्री हरिदास जी की खातेदारी में दर्ज थी। मंदिर की भूमियों को किसी अन्य काश्तकार, उपकृषक, खतौनीदार, जागीरदार आदि को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। जो कानूनी प्रावधानों के विपरित है मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है उसकी खातेदारी किसी व्यक्ति विशेष के नाम प्रथम दृष्टया दर्ज नहीं की जा सकती है। मंदिर की भूमि की खातेदारी वर्तमान में मंदिर श्री हरिदास जी के नाम दर्ज है तथा मंदिर मूर्ति नाबालिग है उसकी भूमि पर पुजारी या अन्य किसी व्यक्ति की काश्त/कब्जा नहीं माना जा सकता है एवं मंदिर की भूमि पर यदि कोई दुसरा व्यक्ति कब्जा बनाये रखता है या नाजायज रूप से गलत रिकार्ड की आड में मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण कर व्यवधान पैदा करता है कब्जा करता है तो असुविधा सदैव नाबालिग मंदिर मूर्ति को होगी है। कोई भी व्यक्ति यदि मंदिर की भूमि को अपने लाभ के लिए काश्त करेगा या उस पर अतिक्रमण करेगा व मंदिर की भूमि को स्वयं खातेदारी की होना क्लेम करेगा तो निश्चित रूप से क्षति मंदिर को होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6 व 7 के पिता मनोहरलाल के नाम संवत 2021 से 2036 तक दर्ज रिकार्ड रही है। विवादित भूमि के खातेदारी हक अधिकार का निर्णय मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत होना है। तब तक उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाना न्यायोचित है। इस तथ्य पर गौर नहीं कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं ताफैसला वाद उभयपक्ष को विवादित भूमि खसरा नम्बर 132, 133 वाके ग्राम बनवास तहसील बुहाना की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर